प्रति,

श्रीमान् महानिदेशक जेल
एवं सुधारात्मक सेवाएं भोपाल (म.प्र.)

विषय - सबजेल सेवढा पर व्याप्त अनियमितताओं, भेदभावपूर्ण व्यवहार व स्वेच्छाचारिता, मिथ्या अशासकीय पत्र डी.ओ. लिखने के सम्बंध में अवगत कराने विषयक ।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि, श्रीमती मंजू कुजूर सहायक जेल अधीक्षक का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर केन्द्रीय जेल सतना से सबजेल सेवढा पर दिनांक 20.10.22 को किया गया है, श्रीमान् अधीक्षक सबजेल सेवढा द्वारा जेल पर चार्ज ग्रहण करने के अल्प समयावधि में जेल पर पदस्थ प्रहरियों के प्रति मिथ्या कार्यवाही, शोषणकारी नीतियां एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जिसके सम्बंध में समस्त प्रहरियों का निवेदन निम्नानुसार है-

1.यह है कि श्रीमान् सहायक अधीक्षक महोदय के पति जलील साँई द्वारा जेल में आकर प्रतिदिन वसूली की जाती है इसके लिए सहायक अधीक्षक के पति द्वारा नई आमद में जेल में निरुद्ध होने वाले बंदियों हेतु पृथक से सैल प्रारम्भ की गई है। जिसमें बंदियों हेतु न तो पंखा है न ही अन्य आवश्यक व्यवस्था है। जिससे बंदियों द्वारा अत्यधिक गर्मी एंव जहरीले कीडे मकौडे का भय होने से बाहर निकलने हेतु मुँह माँगे पैसे दिए जाते है। जबकि उक्त सैल में पर्याप्त प्रकाश, पानी की व्यवस्था नहीं है एंव आये दिन जहरीले साँप निकलते रहते हैं। जिससे किसी भी बंदी के साथ कोई भी क्षति कारित हो सकती है। सबजेल सेवढा पर पूर्व में भी जहरीले कीडे द्वारा काटे जाने से एक बंदी की मृत्यु हो चुकी है। कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर डी.ओ. लिखने की धमकी दी जाती है। जलील साँई द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा पूर्व में भी कुछ कर्मचारियों के डी.ओ. भेजे जा चुके हैं।

2.यह कि सहायक अधीक्षक के पति आजीवन कारावास के अपराधी हैं प्रतिदिन जेल के अन्दर आते हैं पहले ऑफिस में बैठते हैं व कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी एवं महिला प्रहरियों के समक्ष अश्लील गाली-गलौज व अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तत्पश्चात जेल के अन्दर जाते हैं एवं उनके साथ उठते बैठते हैं व बन्दियों के परिजनों का आना जाना सहायक अधीक्षक के शासकीय आवास पर रहता है एवं सहायक अधीक्षक व उनके पति जलील खान भी बन्दियों के घर पर रिश्तेदारों के यहां जाते हैं जिसकी पुष्टि जेल से रिहा हुए बन्दियों द्वारा की जा सकती है, जो आवश्यक प्रयोजनार्थ महोदय के समक्ष कभी भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

3.यह कि जेल पर पदस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी बन्दियों के कहे अनुसार लगाई जाती है जेल के अन्दर से प्रहरियों के ड्यूटी का पर्चा तैयार होकर आता है जिसके अनुसार सहायक अधीक्षक द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है जो प्रहरी अधीक्षक के आदेशानुसार बन्दियों को विशेष सुविधा अथवा लाभ उपलब्ध कराते हैं उनकी ड्यूटी केवल नाममात्र हेतु रजिस्टरों की औपचारिकता पूर्ण करने हेतु लगाई जाती है, प्रमाण हेतु अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है

4.यह कि सबजेल सेवढा पर बन्दियों के परिजनों से मुलाकात करते समय परिजनों का मुलाकात कक्ष में प्रवेश करते समय निगरानी हेतु लगाया गया सीसीटीव्ही कैमरा सहायक अधीक्षक के पति द्वारा बन्दियों के कहने पर घुमाकर अन्य दिशा की ओर कर दिया गया है जिससे बन्दियों को जेल मैनगेट से होते हुए जाली पर प्रति बन्दी 300 से 500/- रुपये लेकर विशेष मुलाकात कराई जाती है जो कि सीसीटीव्ही कैमरा घुमाने से निगरानी में नही आते एवं मुलाकात कराते समय जाली के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री जेल के अन्दर पहुंचाई जाती है, मुलाकात के समय तक बन्दी जेल गेट के अन्दर ही रहते हैं। महोदय पूर्व में भी जाली के माध्यम से मोबाइल जेल के अन्दर पहुंचाये गये थे एवं वर्ष 2005 में जेल मेनगेट से फरारी भी हुई है, वर्तमान में भी शाम के लॉकअप से पूर्व बन्दी जेल मेनगेट पर ही उपस्थित रहते हैं एवं ड्यूटी पर केवल एक प्रहरी तैनात रहता है जिससे कभी भी कैदियों के जेल से भागने की घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता । मुलाकात कराते समय सहायक अधीक्षक के पति पैसे लेने हेतु जाली के पास उपस्थित रहते हैं एवं स्वयं की उपस्थिति में सामग्री जेल के अन्दर पहुंचाते हैं।

5. यह कि सहायक अधीक्षक के कार्यकाल में अत्यधिक अनियमितताएं, अनाधिकृत मुलाकात व अवैध गतिविधि होने से सहायक अधीक्षक द्वारा किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी सीसीटीव्ही निगरानी हेतु नहीं लगाई जा रही है, रजिस्टरों में औपचारिकता पूर्ण करने हेतु केवल प्रातःकालीन 6-12.00 बजे तक की ड्यूटी लगाई जा रही है। जिसमें भी कर्मचारी हमेशा विलम्ब से उपस्थित होता है एवं सीसीटीव्ही का माउस सहायक अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में छिपाकर रख दिया जाता है।

6.दिनांक 15-11-22 को मुख्य प्रहरी सुशील माँझी एवं प्रहरी अभिषेक तिवारी द्वारा बन्दी को प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग करने पर रोका गया तो सहायक अधीक्षक द्वारा बन्दियों (सहायक अधीक्षक द्वारा पोषित) के साथ षड्यंत्र कर उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध बन्दियों से मारपीट की मिथ्या शिकायत लगवाई गई एवं श्रीमान् अधीक्षक व उनके पति जलील खान स्वयं एफआईआर कराने थाने पहुंचे उक्त बंदी की उसी दिनांक 15.11.22 को रिहाई आने से सहायक अधीक्षक द्वारा बन्दी से आवेदन लिखवाकर जेल में माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रोका गया एवं दिनांक 16.11.22 को रिहा किया गया व बन्दियों के परिजनों से न्यायालय में इस्तगासा लगवाया गया। एफआईआर न होने पर थाना प्रभारी को सहायक अधीक्षक द्वारा बन्दी से पैसे का प्रलोभन दिलवाया गया, जबकि उक्त घटना की सत्यता बताने वाले बन्दी गुलाब पुत्र मुलू किरार, कल्लू पुत्र प्रीतम लोधी एवं अन्य बन्दियों को सहायक अधीक्षक द्वारा अन्य जेल स्थानांतरण की धमकी देकर शांत करा दिया गया, जब दोनों कर्मचारियों द्वारा घटना की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु सीसीटीव्ही फुटेज की जानकारी मांगी तो सहायक अधीक्षक द्वारा केवल एक कैमरे की जानकारी प्रदाय की गई, जिससे षड्यंत्र उजागर हो सके उक्त कर्मचारियों के द्वारा पुनः आर.टी.आई. के माध्यम से कई बार सीसीटीव्ही फुटेज की जानकारी मांगी किन्तु सहायक अधीक्षक द्वारा उक्त जानकारी पेन ड्राइव में संग्रह होते हुए भी प्रदाय नहीं की गई, दबाव में आकर परिस्थितिवश कर्मचारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहे उनकी वेतन रोकी गई जिससे परिवार का निर्वहन भी कठिनाई से हो सका एवं उन्हें आर्थिक हानि हुई। प्रहरियों द्वारा सहायक अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत करने पर डी.ओ. लिखने, सी.आर. बिगाड़ने की धमकी दी जाती है एवं सहायक अधीक्षक कहती हैं कि पन्ना व सतना जेल में भी हमारा कोई कुछ नहीं कर सका यहां भी कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा, सहायक अधीक्षक व उनके पति द्वारा स्वेच्छाचारिता की पराकाष्ठा की जा रही है।

7. यह कि सहायक अधीक्षक के पति द्वारा कर्मचारियों से अवकाश हेतु पैसे की मांग की जाती है न देने पर आकस्मिक परिस्थिति में भी अवकाश पर नहीं छोडा जाता एवं पैसे देने वाले कर्मचारियों के मेडीकल अवकाश, अर्जित अवकाश उनके पति द्वारा पैसे लिए जाने के कारण सहायक अधीक्षक द्वारा ही अनधिकृत रुप से स्वीकृत कर दिये जाते है। न देने वाले कर्मचारियों की जानबूझकर अनुपस्थिति डाली जाती है जिसका अवलोकन अभिलेखों में किया जा सकता है।

8. यह कि श्रीमान् अधीक्षक व उनके पति जलील खान द्वारा जेल पर हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायत करने पर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जलील खान हर समय गाडी जेल परिसर के बाहर के रखते हैं एवं स्वयं के साथ अवैध कट्टा या पिस्टल आदि रखते हैं तथा जलील खान की गाडी में जेल परिसर के आसपास नगर के असामाजाकि तत्व (गुंडा/बदमाश/आपराधिक पृष्ठभूमि) अवैध हथियार लेकर नशे में धुत रहकर निरुद्देश्य घूमते हैं, जो कई प्रहरियों द्वारा देखा गया है। जलील खान द्वारा कहा जाता है कि मैने ऐसे ही सतना, पन्ना जेल में मेरी पत्नी सहायक अधीक्षक की शिकायत करने वाले प्रहरी के ऊपर बन्दूक से गोली चलाई थी वह दुर्भाग्य से वच गया। मैं तो आजीवन कारावास का अपराधी हूं, मेरा जीवन बर्बाद है यहां जेल पर किसी भी कर्मचारी द्वारा सहायक अधीक्षक की अथवा मेरी शिकायत की तो उसका भी जीवन बर्बाद कर दूंगा।

महोदय जेल पर उक्त परिस्थितियां विधमान होने से किसी भी कर्मचारी द्वारा मृत्यू अथवा जीवन के भय शिकायत अथवा आवाज नहीं उठाई जाती। न, ही जलील खान को जेल में प्रवेश करने से रोका जाता है न ही उसकी तलासी ली जाती है।

9. यह कि सहायक अधीक्षक एंव उनके पति जलील साईं के द्वारा बंदियों के उपयोग व उपभोग हेतु जेल स्टोर में रखी खाद्यान्न व स्वच्छता सामग्री को स्वंय के घर ले जाकर संगृह कर लिया गया है। जिसका उपयोग स्वंय के उपभोग हेतु किया जा रहा है एंव वंदियों को जैल मैनुअल के अनुसार खाना नहीं दिया जाता है, बन्दियों का अत्यधिक शोषण होने पर भी भय के कारण बन्दियों द्वारा शिकायत नहीं लगाई जाती।

10. यह कि सहायक अधीक्षक के कार्यकाल में समस्त कर्मचारी तनावग्रस्त व मानसिक प्रताडित हैं सहायक अधीक्षक द्वारा मिथ्या कार्यवाही, षड्यंत्रपूर्ण व्यवहार व बाह्य हस्तक्षेप होने से समस्त कर्मचारियों में कर्तव्य के प्रति अत्यधिक उदासीनता है जिससे मानसिक तनाव में आकर कर्मचारी कभी भी स्वयं का अहित कर सकता है। मिथ्यापूर्ण कार्यवाही के भय से कई कर्मचारी से कर्तव्य से अनुपस्थित हैं।

11. यह कि सहायक अधीक्षक का जेल में निरुद्ध बन्दियों पर अत्यधिक शिथिल नियंत्रण है। जेल में निरुद्ध बन्दी अक्सर श्रीमान् अधीक्षक के कार्यालय में हाफ पेन्ट पहनकर, जेब में बीडी पुडिया रखकर आते हैं सहायक अधीक्षक द्वारा उक्त बन्दियों को कभी रोका टोका नहीं जाता जबकि कार्यालय में महिला कर्मचारी भी उपस्थित रहती हैं।

13. यह कि सब जेल सेवढा पर वर्तमान में दो- तीन माह से दस वर्ष की सजा से दण्डित बंदी निरूद्ध है उक्त बंदियों से श्रीमान सहायक अधीक्षक द्वारा 20-30 हजार रूपये लिये गये हैं। श्रीमान सहायक अधीक्षक द्वारा उक्त बंदियों को जेल में नियमों की अवहेलना कर रोकने हेतु किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को न सूचना दी गई है न ही स्वीकृति ली गई है।

14. यह कि, होली पर्व के अवसर पर श्रीमान सहायक अधीक्षक द्वारा जेल के अदंर डी.जे लगवाया गया एंव बाहर से बंदियों के परिचित, परिजनों को जेल में प्रवेश दिया गया एंव उनसे मुलाकात कराई गई। अगले ही दिन भाई दौज के पर्व पर सहायक अधीक्षक द्वारा पुरूष परिजनों की मुलाकात जेल मैनगेट से अंदर लेकर सीसीटीव्ही कक्ष में कराई गई। उक्त दोनो घटनाओं के अवलोकन के लिए संबधित दिनाँक के सीसीटीव्ही फुटेज चैक किए जा सकते है। मिलाई न कराने हेतु तत्समय कर्तव्य पर उपस्थित ईन्चार्ज प्रमुख मुख्य प्रहरी श्री मदन गोपाल राणा द्वारा सहायक अधीक्षक को मिलाई न कराने हेतु कहा गया तो सहायक के पति जलील साईं द्वारा संवधित मुख्य प्रहरी को गंदी गंदी माँ बहिन की गालियाँ दी एंव जान से मारने की धमकी दी।

15. यह कि दिनाँक 20.03.23 को सांयकाल लोकअप के पश्चात सहायक अधीक्षक के पति द्वारा मुख्य प्रहरी श्री मदन गोपाल राणा पर सहायक अधीक्षक मैडम को घूरने, कुदृष्टि से देखने का झूठा आरोप लगाया एंव दिनाँक 21.03.23 को जलील साँई द्वारा संवधित मुख्य प्रहरी को पुनः जेल के अंदर प्रवेश कर मुलाकात कक्ष के पास से (सी.सी.टी.व्ही. दृश्यता से दूर स्थान) माँ बहिन की गंदी गंदी गालियाँ दी, अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया व जान से मारने की धमकी दी। इसी प्रकार का लाछंन मोहम्मद जलील साईं द्वारा अन्य प्रहरी संजय माँझी के प्रति लगाया व प्रहरी को गाली गलौज की। जिससे प्रहरी अपमानजनक आरोप, जलील साँई की धमकी की वजह से आज दिनाँक तक कर्तव्य से अनुपस्थित है।

उपरोक्त समस्त कारणों एवं कर्मचारियों के निवेदन व उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अधीक्षक मंजू कुजूर की पदस्थापना अन्यत्र करने की कृपा करें एवं इन्हे भविष्य में कभी भी उपजेल, जिलाजेलों पर पदस्थ न किया जाये क्योंकि इनके द्वारा किसी भी कर्मचारी का जीवन कभी भी खतरे में पड सकता है व उन्हें जन,धन की हानि हो सकती है। श्रीमान् जी उपरोक्त विषय के सम्बंध में किसी भी कर्मचारी के कथन सबजेल सेवढा के अतिरिक्त किसी भी अन्यत्र स्थान पर लिपिबद्ध कराये जा सकते हैं एवं उपरोक्त कारणों की प्रमाणिकता हेतु सीसीटीव्ही फुटेज का समयावधि में अवलोकन किया जा सकता है अन्यथा सहायक अधीक्षक द्वारा सीसीटीव्ही फुटेज रिकार्ड से हटाई जा सकती हैं।

अतः श्रीमान् जी से आशापूर्ण निवेदन है कि कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए समस्या का निराकरण करने की कृपा करें , जिससे भविष्य में कभी भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके, आपकी अति कृपा होगी।

समस्त कर्मचारीगण

प्रतिलिपि-

1.माननीय गृह,जेल एवं विधि विधायी मंत्री म.प्र.शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.श्रीमान् मुख्य सचिव जेल विभाग म.प्र.शासन बल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3.श्रीमान् अधीक्षक महोदय केन्द्रीय जेल ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4.श्रीमान् अधीक्षक महोदय जिला जेल दतिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन जेल अधीक्षक सेवढा की ओर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपरोक्त समस्त कारणों एवं कर्मचारियों के निवेदन व उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अधीक्षक मंजू कुजूर की पदस्थापना अन्यत्र करने की कृपा करें एवं इन्हे भविष्य में कभी भी उपजेल, जिलाजेलों पर पदस्थ न किया जाये क्योंकि इनके द्वारा किसी भी कर्मचारी का जीवन कभी भी खतरे में पड सकता है व उन्हें जन,धन की हानि हो सकती है। श्रीमान् जी उपरोक्त विषय के सम्बंध में किसी भी कर्मचारी के कथन सबजेल सेवढा के अतिरिक्त किसी भी अन्यत्र स्थान पर लिपिबद्ध कराये जा सकते हैं एवं उपरोक्त कारणों की प्रमाणिकता हेतु सीसीटीव्ही फुटेज का समयावधि में अवलोकन किया जा सकता है अन्यथा सहायक अधीक्षक द्वारा सीसीटीव्ही फुटेज रिकार्ड से हटाई जा सकती हैं।

अतः श्रीमान् जी से आशापूर्ण निवेदन है कि कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करते हुए समस्या का निराकरण करने की कृपा करें , जिससे भविष्य में कभी भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके, आपकी अति कृपा होगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

समस्त कर्मचारीगण

प्रतिलिपि-

1.माननीय गृह,जेल एवं विधि विधायी मंत्री म.प्र.शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.श्रीमान् मुख्य सचिव जेल विभाग म.प्र.शासन बल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3.श्रीमान् अधीक्षक महोदय केन्द्रीय जेल ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4.श्रीमान् अधीक्षक महोदय जिला जेल दतिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन जेल अधीक्षक सेवढा की ओर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।